# न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 208/2014
29/2016

इन्दु कुमारी वनाम राज्य व लभली कुमारी

## –:: आदेश ::–

11.2.17
18.2.17

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी इन्दु कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के ऑगनबाड़ी वाद 35/13–14 में दिनांक 01.07.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध क्षेत्रीय उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा में दाखिल किया गया था। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका 10/10.4 एवं 10/10.7 के आलोक में अभिलेख प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी का कहना है ऑगनबाड़ी वाद संख्या 35/14 में दिनांक 01.07.2014 को प्रतिपक्षी लभली कुमारी के चयन को सम्पुष्ट करते हुए अपीलार्थी के आवेदन को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा खारीज कर दिया गया। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि उनके पीठ पीछे 01.07.2014 को आदेश पारित किया गया। दिनांक 17.06.2017 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी तथा दिनांक 27.06.2014 को आवेदिका के आवेदन पत्र पर वाद की सुनवाई स्थगित कर दिनांक 11.07.2014 को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी, परन्तु दिनांक 01.07.2014 को ही निर्धारित सुनवाई की गयी थी, परन्तु दिनांक 01.07.2014 को ही निर्धारित सुनवाई की तिथि के पहले अपीलार्थी के वकील को सुने विना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 13.11.2013 को आम सभा द्वारा लभली कुमारी के गलत चयन को चैलेन्ज किया गया।

अपीलार्थी ग्राम– रखौना, वार्ड नं0– 15 जो पोषक क्षेत्र अन्तर्गत है की निवासी है, अपीलार्थी ने दिनांक 31.07.2013 को नियत समय पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिया था। मेघा सूची तैयार की गयी। अपीलार्थी ने प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी संबंधी अंक पत्र की छाया प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न किया था। मेघा सूची का प्रकाशन तीन दिनों के अन्दर आपत्ति यदि कोई हो तो मॉग की गयी थी। जब अपीलार्थी ने मैट्रीकुलशन के अंक पत्र में कुल प्राप्तांक 495 अंकित देखा तो अपीलार्थी को लगा कि किसी ने जान–बुझ कर अपने अंक पत्रों को बदल दिया, जो मूल अंक पत्र कुल प्राप्तांक 425 की छायाप्रति थी अथवा किसी के गलती से 425 के स्थान पर 495 अंक टंकित हो गया। इस तरह अपीलार्थी ने अंक सुधार के लिए 10.08.2013 को आवेदन दिया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इस पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा से मार्ग दर्शन की मांग की गयी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अंक पत्र में सुधार का आदेश दिया। आवेदिका एम0ए0 पास परित्यक्ता महिला है जो पति से अलग होकर एक कमरे एवं फूस के मकान में रहती है। अपीलार्थी मैट्रिक, इन्टर, बी0ए0 एवं एम0ए0 पास की अंक पत्र पिछड़ी जाति प्रमाण–पत्र वार्ड नंबर– 15 की निवासी तथा परित्यक्ता प्रमाण–पत्र की छाया प्रति भी संलग्न की गयी। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी के सुने विना आदेश पारित कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अन्ततः अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्ध कर अपीलार्थी के चयन की अनुमति प्रदान करने की याचन की गयी।

विपक्षी नंबर– 5 द्वारा अपने लिखित बहस के माध्यम से कहा है कि अपीलार्थी इन्दु कुमारी एवं विपक्षी लवली कुमारी सहित कुल 12 अभ्यर्थियों सोनवर्षा परियोजना के पंचातय खजुराहा वार्ड नंबर– 15 ऑगनबाड़ी केन्द्र रखौता, केन्द्र संख्या– 212 के सेविका पद हेतु आवेदन दाखिल किया, जिसमें अपीलार्थी गलत रूप से लाभ लेने के उद्धेश्य से फर्जी मैट्रिक अंक पत्र दाखिल की, जिसमें कुल प्राप्तांक 495 दर्शायी गयी, जबकि उसका वास्तविक अंक 425 ही था, तथा अपीलार्थी का पति शिक्षक है, जिस वजह से उसका चयन नहीं हो सकता था इसलिए फर्जी परित्यक्ता प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ लगाई। विपक्षी संख्या– 5 का अग्रतर कहना है कि अपीलार्थी के फर्जी अंक पत्र फर्जी परित्यक्ता प्रमाण–पत्र की जानकारी हुई तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा को अपीलार्थी के विरूद्ध आपत्ति दिया। आपत्ति के वाद अपीलार्थी स्वयं से आवेदन देकर फर्जी अंक पर स्वीकार कर ली यह कहते हुए टंकण का भूलवश 425 के जगह 495 हो गया। अपीलार्थी द्वारा कहना टंकण की भूलवश हुआ सर्वथा गलत है, तथा स्वयं को फर्जीवारा में फसते देख वचाव करने का गलत कोशिश की। अपीलार्थी द्वारा दाखिल परित्यक्ता प्रमाण–पत्र भी फर्जी है। स्वयं को फर्जीवाड़ा में फंसते देख वचाव करने का गलत कोशिश की है।

18.2.17

विपक्षी का अग्रतर कहना है कि अपीलार्थी का सभी प्रमाण–पत्र गलत व फर्जी है। अपीलार्थी इन्दु कुमारी काफी जालसाज है, जो अपने शैक्षणिक प्रमाण–पत्र का कुट रचना कर गलत रूप से लाभ लेना चाहती थी, जिससे आजीज आकर विपक्षी लवली कुमारी अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय में नालसी वाद दायर की। न्यायालय से वाद की गंभीरता को देखते हुए सोनवर्षा थाना भेजा गया, जहाँ अपीलार्थी एवं उसके पति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। सोनवर्षा थाना कांड संख्या– 46/14 अन्दर दफा 419, 420, 467, 466, 471, 120 बी0/34 भा0द0वि0 जिसमें गिरफ्तारी का आदेश दिय गया अपीलार्थी का जमानत मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारीज होने के बाद मान्नीय सवोच्च न्यायालय द्वारा सशर्त्त जमानत दिया गया। उक्त वाद अभी न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है।

अन्ततः विपक्षी का कहना है अपीलार्थी द्वारा वरीय न्यायालय के समक्ष गलत रूप से गलत कागजात के समक्ष गलत रूप से गलत कागजात व सबूत दरपंथ करने के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए अपील वाद पत्र को खारीज करने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। क्योंकि अपीलार्थी स्वयं स्वीकार की है कि उसके अंक पत्र में मूल अंक गलत टंकित हो गया है, तथा अपीलार्थी द्वारा दिया गया परित्यकता प्रमाण पत्र विभिन्न कारणों से स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
18.2.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

18.2.17
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 399–2/ विधि, सहरसा, दिनांक–07-3-2017.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०) सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– ज़िला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा ज़िला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7/3/17
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।